

## ब्याज की गणना कैसे की जाती है

भविष्य निधि योगदान पर ब्याज की गणना से संबंधित नियम कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 की कंडिका 60 के तहत निर्धारित किए गए हैं।

ब्याज की गणना मासिक चलन शेष राशि के आधार पर की जाती है:

- चालू वर्ष की अंतिम तारीख की समापन शेष से चालू वर्ष में लिए गए वापसी की राशि को घटा कर शेष राशि पर :12 महीनों के लिए ब्याज

- चालू वर्ष के दौरान निकाले गए रकम पर: वर्ष की शुरुआत से लेकर निकासी के माह से पूर्व माह की अंतिम तिथि तक

- चालू वर्ष के दौरान जमा किए गए अंशदानों की मात्रा पर: जमा की गयी राशि के माह की अगली माह की पहली तारीख से वर्ष की अंतिम तिथि तक

एक बार किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए ब्याज दर अधिसूचित होने के बाद, और चालू वर्ष समाप्त होने पर, ब्याज की गणना की जाती है

वर्ष के प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को शेष राशि को जोड़ कर उस राशि को ब्याज दर / 1200 से गुना कर ब्याज की राशि निकली जाती है

अंतिम निपटान लेने वाले सदस्य के मामले में, इस नियम के अनुसार गणना की गई ब्याज उसकी निपटान राशि में जोड़ी जाती है

नोट : ब्याज की गणना कर्मचारी अंशदान तथा नियोक्ता अंशदान पर अलग अलग की जाती है.

पेंशन अंशदान पर ब्याज की गणना नहीं की जाती है चूंकि इससे मिलने वाली पेंशन अथवा निकासी की गणना औसत वेतन तथा सेवा अवधि के आधार पर की जाती है

### अंतिम निपटान के दौरान:

यदि कोई सदस्य अंतिम निपटान ले रहा है तथा उस तिथि तक वर्ष के लिए ब्याज दर अधिसूचित नहीं की गयी हो तो उस सदस्य को पूर्व के वर्ष के ब्याज दर पर ब्याज दिया जायेगा लेकिन बाद में ब्याज दर अलग घोषित होने पर राशि में बदलाव नहीं किया जायेगा

## निष्क्रिय खातों में ब्याज:

किसी सदस्य के खाते के निष्क्रिय हो जाने के बाद की तिथि से उसपर ब्याज देय नहीं होता है

कर्मचारी भविष्य निधि योजना की कंडिका 72 की उप कंडिका 6 के अनुसार खाते निष्क्रिय बन जाते हैं

सदस्य योजना में अनुच्छेद के प्रावधानों को पढ़ सकता है, लेकिन इसे आसान शब्दों में समझने के लिए निम्नलिखित को देखने का अनुरोध किया जाता है:

यदि कोई सदस्य 55 वर्ष की आयु पूरी करने पर सेवानिवृत्त हुआ है

**या**

स्थायी रूप से विदेश चले गए हैं

**या**

सदस्य की मृत्यु हो गई है

**तथा**

राशि देय हो गई हो और अगले 36 महीनों में निपटान का कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है, उस दिनांक से खाता निष्क्रिय हो जाता है।

एक बार जब कोई खाता निष्क्रिय हो जाता है, तो उस तिथि से ब्याज देय नहीं होता है

- इसलिए जो सदस्य 55 साल की उम्र से पहले सेवा छोड़ रहे हैं, उन्हें 58 साल की उम्र तक अंतिम निपटान का दावा दाखिल करना चाहिए
- 55 वर्ष की आयु के बाद सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों को अगले तीन वर्षों के भीतर अंतिम निपटान का दावा दाखिल करना चाहिए
- स्थायी रूप से विदेश जाने वाले सदस्यों को 3 साल के भीतर अंतिम निपटान का दावा दाखिल करना चाहिए
- किसी सदस्य की मृत्यु के मामले में, लाभार्थी को मृत्यु की तारीख के 3 साल के भीतर अंतिम निपटान का दावा दाखिल करना चाहिए

## **How is the interest calculated**

The rules related to the calculation of Interest on Provident Fund Contributions are laid down under Para 60 of the Employees' Provident Fund Scheme 1952

The interest is credited on monthly running balance basis as follows:

- On the closing balance of the amount as on last date of the preceding year less any sum withdrawn during the current year: interest for 12 months.
- On the sums withdrawn during the current year: Interest from the beginning of the year till the last date of the month preceding the month in which withdrawal took place.
- On the amounts of contributions credited during the current year: interest from the first date of month succeeding the month of credit, till the last date of the current year.

Once the interest rate for any Financial Year is notified, and the current year ends, the month wise closing balance is calculated and then the interest for the whole year is calculated by adding the monthly running balance and multiplying it with the interest rate /1200. (See illustration)

In case of a member taking the final settlement, the interest calculated as per this rule is added in his settlement amount.

Note: Interest is separately calculated for the Employee Share and Employer Share of Provident Fund.

No interest is calculated on Pension Contribution since benefits are based on the service length and average wages at the time of exit, whether the benefit is through Pension or Withdrawal Benefit.

**During final settlement:**

In case a member is taking a final settlement and the interest for the current year is not notified, interest is credited on the basis of the rate declared for the immediately preceding year. However on declaration of interest whether at less or higher rate no revision of the settled amount is done.

**Interest in the Inoperative Accounts:**

No interest is credited in the members' account from the date when the account has become Inoperative Account as per the provisions of the Scheme [Sub-paragraph (6) of paragraph 72]

A member can read the provisions of the paragraph in the Scheme, but to understand this in easy terms it is requested to see the following:

If a member has retired on completion of 55 years of age

**Or**

Has migrated abroad permanently

**Or**

Member has died

**And**

No claim has been received for settlement for 36 months from the date when the amount became payable,

The account becomes inoperative from that date.

**Once an account becomes inoperative, no interest is credited further from that date.**

So members who are leaving service before 55 years of age should file claims maximum by the age of 58 years to not lose any interest.

Members who have retired after 55 years age should file claim maximum within next three years.

In case of death of a member, the beneficiary should file claim maximum within 3 years of the date of death.

ब्याज की गणना का उदहारण

### Illustration of Calculation of Interest

Month/Year	Contribution	Withdrawal	Interest bearing balance
Opening Balance	112345		
March	100		112345
April	100		112445
May	100	25000	87545
June	100		87645
July	100		87745
August	100		87845
Sept	100		87945
Oct	100		88045
Nov	100		88145
Dec	100		88245
Jan	100		88345
Feb	100		88445

माना कि ब्याज दर 8.65% है

Say interest rate is 8.65%

ब्याज के लिए राशि = मासिक अंत शेष का योग

Interest bearing balance = Sum of monthly balance = 1104740

ब्याज की राशि

Amount of interest=  $1104740 * 8.65/1200 = 7963.33$

निकटतम रूपये में राशि

Rounded to nearest rupee 7963/-

इस प्रकार वर्ष के अंत में शेष = प्रारंभिक शेष + अंशदान - निकासी + ब्याज

Thus the closing balance for the year will be Opening balance + Contributions – withdrawal + Interest,

Rs 112345 + 1200 – 25000 + 7963 = 96508